




राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक एफ 1(16) ग्रावि/नरेगा/वार्षिक कार्य योजना-2024-25 जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु **“आजीविका संवर्धन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन”** की Theme पर वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार करने संबंधी दिशा-निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु **“आजीविका संवर्धन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन”** की Theme पर वार्षिक कार्य योजना एवं अनुमानित श्रम बजट तैयार किया जाना है, जिसके संबंध में निम्न समय-सीमा अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जानी है :-

क्र.	की जाने वाली कार्यवाही	समयावधि
1	ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया की शुरुआत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के संबंध में ग्राम सभा में चर्चा एवं प्राथमिकता निर्धारण। ग्राम सभा में योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों एवं श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता हेतु विशेष प्रयास किये जावे। साथ ही योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में कराये गये कार्यों का विवरण एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चर्चा की जावे।	2 अक्टूबर, 2023
2	विशेष ग्राम सभा में ग्राम पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट का अनुमोदन।	03 अक्टूबर, 2023 से 30 नवम्बर, 2023 तक
3	ग्राम पंचायत स्तरीय श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना 2024-25 का अनुमोदन एवं ग्राम पंचायत स्तरीय योजना को ब्लॉक पंचायत में प्रस्तुत करना।	5 दिसम्बर, 2023 तक
4	ब्लॉक पंचायत द्वारा ब्लॉक स्तर पर समेकित की गई वार्षिक योजना का अनुमोदन तथा इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना (ब्लॉक स्तर के लिए प्रस्तावित सभी प्रोजेक्ट सहित समेकित श्रम बजट ब्लॉक	20 दिसम्बर, 2023 तक

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



	पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत से अनुमोदित होना चाहिए)	
5	ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य योजना का निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण।	20 जनवरी, 2024 तक
6	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला पंचायत में वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना (जिले के लिए प्रस्तावित सभी प्रोजेक्ट जिला स्तर पर अनुमोदित होने चाहिए)	21 जनवरी, 2024 तक
7	जिला पंचायत द्वारा जिला वार्षिक योजना को मंजूरी देना तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण।	31 जनवरी, 2024 तक
8	कार्य योजना का विभिन्न स्तर से अनुमोदन पश्चात ग्राम पंचायतवार लेबर प्रोजेक्शन एवं वर्क प्रोजेक्शन की ऑनलाईन एन्ट्री पूर्ण किया जाना है।	

- ग्राम सभा में वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के पूर्व योजनान्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यों की सर्वप्रथम जीआईएस आधारित तैयार की गई कार्य योजना में से राजस्व ग्रामवार कार्य योजना तैयार की जाए। समस्त राजस्व ग्रामों की कार्य योजना को संकलित कर व समन्वित कर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में विचार-विमर्श हेतु रखा जाये। इसके लिए विभिन्न परिशिष्ट संलग्न किये गये हैं।
- परिशिष्ट '1' पर प्रदत्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुये ग्रामवार कार्य योजना तैयार की जावे व विभिन्न कार्यों की एक प्राथमिक सूची ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तैयार कर उनकी प्राथमिकता तय की जावे।
- इसके उपरांत 2 अक्टूबर को होने वाले पंचायत स्तरीय ग्राम सभा में राजस्व ग्रामवार योजना के कार्यों पर चर्चा कर पंचायत स्तरीय वार्षिक योजना तैयार की जावे और उसमें आवश्यक वरीयता निर्धारित की जावे।
- समस्त चर्चा के उपरांत अंतिम कार्य योजना के सार को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट '2' में अंकित किया जाए और इसमें सभी कॉलम पूर्ण एवं सही प्रकार से भरा जाना भी सुनिश्चित करावें, ताकि कार्यों की संख्या, मानव दिवस, लागत तथा इनसे होने वाले अनुमानित प्रभाव आंकलन संभव हो सके।
- ग्राम सभा में वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा/अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव का प्रारूप परिशिष्ट '4' पर संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



- अंत में ग्राम पंचायत के कार्यवाही विवरण को परिशिष्ट '3 व 4' के अनुरूप संकलित कर प्रस्तुत किया जाए।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायतवार, पंचायत समितिवार एवं जिलेवार बुकलेट तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावे तथा परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध प्रपत्र अनुसार केटेगिरीवार कार्यों की सूचना संकलित कर भिजवाई जावे।

“आजीविका संवर्धन एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन” की Theme पर वार्षिक कार्य योजना में शामिल किये जाने वाले प्रमुख कार्य –

आजीविका संवर्धन

- व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में आवश्यकतानुसार फलदार पौधारोपण के कार्य, नर्सरी विकास कार्य, कैटल/पशु शैड एवं पोषण वाटिका
- कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट/बायो गैस के प्रोत्साहन हेतु कार्य
- व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के क्रियान्वयन में SHG के सदस्यों के परिवारों को प्राथमिकता दी जावे।
- व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु सोखता गड्ढा निर्माण कार्य
- व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पॉण्ड, टांका, डिग्गी आदि के निर्माण, भूमि विकास, एनीकट, अर्दन डेम, चैक डेम एवं जल संरक्षण संरचना आदि के कार्य

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

- जल संरक्षण हेतु रिज टू वैली एप्रोच के अनुसार ड्रेनेज लाईन को ट्रीट करने के लिए गली प्लग, लूज स्टोन चैक डेम, अर्दन चैक डेम, गोबिएन, एनिकट इत्यादि जल संरचनाएं
- तालाब निर्माण/विकास कार्य एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार
- जलस्रोत (जीएलआर, हैंडपम्प, पीएसपी, सार्वजनिक कुआं आदि) से बहने वाले व्यर्थ जल के लिए सामुदायिक सोखता गड्ढा, **Ground water recharge structure**
- सड़को के किनारे वृक्षारोपण :- प्रत्येक ग्राम पंचायत की सीमा तक समस्त सड़को के किनारे Ring Pit विधि द्वारा वृक्षारोपण कार्य, रेलवे विभाग से समन्वयक कर रेलवे लाईन के किनारे वृक्षारोपण तथा कैनल साईड वृक्षारोपण कार्य

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



- सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण :- चारागाह भूमि, सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण, नर्सरी विकास कार्य, पोषण वाटिका, Moringa Plantation, उद्यानिकी (फलदार) वृक्षारोपण कार्य
 - सरकारी परिसर में वृक्षारोपण
 - समस्त राजकीय भवनों पर वर्षा जल संरक्षण हेतु Roof Top Water Harvesting Structure निर्माण कार्य
 - शहरो की तर्ज पर गांवों में भी ग्रामीण उद्यान विकास के कार्य विभागीय दिशा-निर्देशानुसार अन्य विभागो से समन्वय कर लिये जावे।
 - चारागाह विकास के कार्य एवं बंजर भूमि विकास कार्य :- चारागाह विकास में यह ध्यान रखें कि पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। अतः उसमें जहां आवश्यक हों सेवण, घामण आदि स्थाई प्रकृति की घासों के बीज की बुवाई या ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां चारे के रूप में प्रयुक्त हों सकती हैं को वरीयता दी जावे। चारागाह के अंतर्गत अनेक कार्यो की आवश्यकता हो सकती है जैसे फार्म पोंड/तालाब, पशुओं के लिए खेती, वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, बायोगैस/वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट पिट, पौधशाला इत्यादि।
1. चारागाह विकास अन्तर्गत कार्यो, प्रबंधन एवं उपयोग हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 170(1) के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही हेतु ग्राम सभाओं में विचार-विमर्श कर प्रस्ताव पारित करवाया जावे।
 2. चारागाह विकास कार्यो का सफल क्रियान्वयन भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जैसे जिलों में हुआ है। आवश्यकता होने पर संबंधित कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणजन की इस हेतु उक्त जिलों में फ़िल्ड विजिट कराई जा सकती है।

ग्रामीण अवसंरचना संबंधी कार्य

- महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय कर जिन ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी सेन्टर निर्माण/नरेगा योजना में निर्मित भवनों की मरम्मत के कार्य
 - नवसृजित ग्राम पंचायत में पंचायत भवन निर्माण कार्य, श्मशानघाट एवं खेल मैदान संबंधित कार्य
- इसी क्रम में अन्य बिन्दु भी महत्वपूर्ण होंगे –**
- जिला स्तर पर श्रम एवं सामग्री का 60:40 में अनुपात, SHGs एवं CBOs की भागीदारी, भूमिहीन एवं Manual Casual Labour परिवार की प्राथमिकता सुनिश्चित करावें। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत तैयार प्लान में ली गई गतिविधियों का GDPD में समावेश करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



- योजनान्तर्गत कुल व्यय राशि की कम से कम 60 प्रतिशत राशि कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर तथा मिशन जल संरक्षण ब्लॉक में कुल व्यय राशि की कम से कम 65 प्रतिशत राशि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों पर व्यय किये जाने हेतु प्रावधान।
- ग्राम सभा में योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यों एवं श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता हेतु विशेष प्रयास किये जावे। साथ ही योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कराये गये कार्यों का विवरण एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चर्चा की जावे।
- ग्राम सभाओं से पूर्व ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन आने वाले समस्त शामिल भूमि एवं जल स्रोतों जैसे चारागाह, जोहड़, ओरण, सामूहिक नाला, तालाब, राजकीय भवनों के परिसरों में वृक्षारोपण इत्यादि का सीमाज्ञान करवाकर प्राकृतिक संसाधनों का विकास, प्रबंधन एवं उपयोग हेतु कार्य वार्षिक कार्य योजना में जोड़ने हेतु प्रस्ताव।
- योजनान्तर्गत अनुमत विभिन्न कार्यों को अन्य योजनाओं से अभिसरण (Convergence) कर क्रियान्वित किये जावे। इस हेतु MPLAD, MLALAD, जन सहयोग, विभिन्न लाईन विभागों यथा जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग आदि से प्रस्ताव शामिल किये जावे।
- व्यक्तिगत लाभ के कार्य जिनसे आजीविका संवर्धन होगा, एक्ट के प्रावधानानुसार उन लक्षित परिवारों एवं उनकी कृषि योग्य भूमि पर लिये जाने वाले कार्यों का चिन्हीकरण।
- वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने से पूर्व पंचायत समिति सदस्यों एवं समस्त जन प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जावे। ताकि ग्राम पंचायत में अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस हो सके। आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाओं में राजीविका के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी है। अतः इसके लिए उन्हें पहले से सूचित कर आमंत्रित कर लिया जाए और यथा संभव उनकी ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम भी प्राप्त कर लिए जाये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

Signature valid

Digitally signed by Shiwangi
Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



क्रमांक एफ 1(16) ग्रावि/नरेगा/वार्षिक कार्य योजना-2024-25 जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 माननीय सांसद महोदय, समस्त।
- 4 माननीय विधायक महोदय, समस्त।
- 5 माननीय जिला प्रमुख महोदय, समस्त।
- 6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग।
- 7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
- 8 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
- 9 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 10 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- 11 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 12 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 13 निजी सचिव, आयुक्त, कृषि।
- 14 निजी सचिव, आयुक्त, उद्यान।
- 15 निजी सचिव, निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, पंतकृषि भवन।
- 16 निजी सचिव, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
- 17 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
- 18 अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
- 19 समस्त विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
- 20 GIZ प्रतिनिधि।
- 21 UNDP प्रतिनिधि।
- 22 प्रोग्रामर, ईजीएस को नरेगा साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 23 रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियंता, ईजीएस

Signature valid

Digitally signed by Shiwangi
Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



परिशिष्ट- '1'

—: वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश :-

- 1 योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामवार Shelf of Projects तैयार किये जाने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 बिंदु विचारणीय है —
 - क. कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों की संख्या—** मास्टर सकूलर में उल्लेख है कि "ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजनाओं की सूची रोजगार की अनुमानित मांग से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए"। अतः वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्व ग्रामवार पिछले वर्षों की मांग के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कम से कम दोगुनी संख्या में कार्य उपलब्ध हों।
 - ख. कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों के स्थान—**कार्ययोजना में इतनी संख्या में इतने प्रकार के कार्य शामिल किए जाएं, जिससे मजदूरों को वर्ष भर काम दिया जा सके। साथ ही इस प्रकार की व्यवस्था की जानी आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक गांव में पर्याप्त कार्य हों, ताकि एक गांव के श्रमिक को दूसरे गांव में जाने की आवश्यकता न हो।
 - ग. कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों के प्रकार—**कार्ययोजना में केवल इतनी संख्या में कार्य शामिल किए जाने आवश्यक नहीं हैंकि पूरे वर्ष में मजदूरों को वर्ष भर काम दिया जा सके, अपितु इतने प्रकार के कार्य शामिल किए जाएं, जिससे मजदूरों को वर्ष भर सभी मौसमों में काम दिया जा सके। उदाहरणार्थ इसमें ऐसे समय जब बरसात के कारण प्रायः निर्माण संबंधी कार्यों में बाधा आ जाती है उसके लिए पौधशाला विकास, पौधारोपण, पोषण वाटिका विकास आदि के कार्य लिए जा सकते हैं। ऐसे ही मौसम ही नहीं, अपितु श्रमिकों के ऐसे वर्गों सामान्य श्रमिक के रूप में कार्य कर पाने में उतने समर्थ नहीं हो पाते हैं, जैसे— वृद्धजन, दिव्यांगजन, गर्भावस्था की अवधि की महिलाओं आदि के उपयुक्त कार्य समाहित हो सकें, जैसे— चौकीदारी, पानी पिलाने का कार्य, पौधशाला में निराई का कार्य आदि में उन्हें सरलता से ही नियोजित किया जा सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि नरेगा अधिनियम में कार्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है—कैटेगरी- 'ए' (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्य), कैटेगरी- 'बी' (व्यक्तिगत लाभ के कार्य), कैटेगरी- 'सी' (स्वयं सहायता समूह कार्यशाला

RajKaj Ref No. : 4707655

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved



Common Work sheds for NRLM compliant SHG), कैटेगरी- 'डी' (ग्रामीण आधारभूत संरचना संबंधी कार्य) इसमें सभी प्रकार के कार्यों को संतुलित रूप में योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की **अनुसूची-1** पर उल्लेखित अनुमत कार्यों की श्रेणी 'ए' एवं 'बी' के अधिकांश कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें योजनान्तर्गत विभिन्न वित्तीय संसाधनों का कन्वर्जेंस कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं का अधिक से अधिक निर्माण किया जा सकता है, ताकि प्रत्येक गाँव पेयजल एवं सिंचाई सुविधा में आत्मनिर्भर हो सकें, क्षेत्र के भू-जल स्तर में वृद्धि हो एवं गिरते भू-जल के स्तर में कमी लाई जा सके तथा गाँव के सिंचाई क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी हो। मिशन जल संरक्षण अंतर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यों के चयन एवं उनकी महत्ता पर ग्राम सभा में चर्चा की जाये।

घ. कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों के बिन्दु व विविधता—एक अच्छी कार्य योजना का उद्देश्य सभी गांवों को सम्पूर्ण विकास होना चाहिए जिसमें आधारभूत संरचना के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि और पर्यावरण का भी समुचित ध्यान रखा जा सके। कार्य योजना बनाते समय गांव के विकास से संबंधित समस्त क्षेत्रों/कार्यों यथा चारगाह, तालाब, पहाड़ी, खेल मैदान, सडक, आबादी, राजकीय भवन, डंपिंग ग्राउंड, पेयजल स्थल व परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध तालिकानुसार कार्यों को चर्चा में लाया जावे। ग्राम सभा में कार्य योजना की चर्चा में सबसे पहले इनको पढ़कर सुनाया जाना चाहिए, ताकि उसके विकास से संबंधित जो भी प्रस्ताव या सुझाव आते हों, उनको सम्मिलित किया जा सके। इसमें सुझाव देने के लिए समुचित प्रपत्र देकर उसकी पावती भी दी जानी चाहिए।

ड. कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों की गुणवत्ता, उपयोगिता और वरीयता—कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों की गुणवत्ता व उपयोगिता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, यह सर्वप्रथम कार्य लिए जाने के पूर्व ही विचार कर लिया जाए कि क्या उसकी वस्तुतः वहां पर उपयोगिता है और वह भविष्य में संचालित या फलदायी होने की संभावना लिए हुए हैं। गुणवत्ता के संबंध में भी क्रियान्वयन के समय उसकी डिजाईनिंग व सामग्री पर विस्तृत परीक्षण या विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

Signature valid

Digitally signed by Shivangi
Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



- 2 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार योजनान्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में जीआईएस आधारित प्लान अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाये। इस क्रम में लेख है कि यदि पूर्व में तैयार किये गये प्लान में कोई गतिविधि शामिल करना हो, तो उसे शामिल करते हुए जीआईएस आधारित प्लान आवश्यक रूप से तैयार किये जावे, तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि लिये गये कार्य जल ग्रहण सिद्धान्त के अनुरूप है तथा District Irrigation Plan में सम्मिलित है। इस हेतु जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, भू-जल विभाग तथा जल संसाधन विभाग के अभियन्ताओं का तकनीकी सहयोग लिया जावे।
- 3 बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति का गठन किए जाने के निर्देश है, जिसके अंतर्गत सरपंच को अध्यक्ष तथा ग्राम विकास अधिकारी को सदस्य सचिव रखा गया है। साथ ही पंचायत समिति सदस्य व वार्ड पंच के अतिरिक्त कृषि पर्यवेक्षक व पटवारी को सदस्य बनाया गया है। चारागाह विकास हेतु इनकी बैठक कर उनके सुझाव सम्मिलित कर लिए जाए।
- 4 जहां पर चारागाह भूमि नहीं है वहां सिवाय चक/बिला नाम भूमि को चारागाह हेतु दर्ज करने की कार्यवाही की जाए और शामलात संसाधन जैसे चारागाह, तालाब, नाडी, जोहड़ आदि का परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। (पंचायती राज नियम 1996/137)
- 5 योजनान्तर्गत कुल व्यय राशि की कम से कम 60 प्रतिशत राशि कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर तथा मिशन जल संरक्षण ब्लॉक में कुल व्यय राशि की कम से कम 65 प्रतिशत राशि प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यों पर व्यय किये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये हैं, जिसकी पालना की जानी है।

Signature valid

Digitally signed by Shivangi
Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



कार्य योजना में चिन्हित कार्यों का विवरण -

क्र. सं.	गांव का नाम	प्रस्तावित कार्य का नाम	स्थानका नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर/ संख्या)	नरेगा योजना से			अन्य योजनाओं से		सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या	कार्य की प्राथमिकता (Priority)	कार्यकारी एजेंसी का नाम
					अनुमानित श्रम बजट	अनुमानित सामग्री बजट	कुल बजट	अनुमानित राशि	योजना का नाम			

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
 Designation : Commissioner
 Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



—: वार्षिक कार्य योजना 2024—25 में राजस्व ग्रामवार लिये जाने वाले कार्यों की चेक—लिस्ट :-

जिला		पंचायत समिति		ग्राम पंचायत	
राजस्व ग्राम		कुल जॉब कार्ड		सक्रिय जॉब कार्ड	

क्र.सं.	कार्य	संख्या	अनुमानित व्यय
1	जल संरक्षण हेतु चैकडेम/बन्ध इत्यादि एनीकट / लूज स्टोन चैक डैम / गैबियन इत्यादि		
3	जल संग्रहण संरचनाएं		
	• तालाब / नाडी		
	• परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार		
	• फार्म पॉण्ड / डिग्गी		
	• टांका / कुओं		
	जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के कार्य		
8	• कन्टूर / स्टेगर्ड ट्रेंच (Staggered Trenches, Continuous contour Trenches-CCT) etc.		
	• गली प्लग्स (Gully Plugs)		
11	वृक्षारोपण		
	• परिसर		
	• रोड / कैनल साईड		
	• सामुदायिक भूमियों पर		
15	चारागाह		
16	सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य		

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



17	भूमि विकास के कार्य		
	व्यक्तिगत लाभ के कार्य		
	• वर्मी कम्पोस्ट		
	• कैटल शेड / बकरी आश्रय / कुक्कुट आश्रय इत्यादि		
18	• कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने सम्बन्धी कार्य		
	• फार्म पौण्ड / टांका / डिग्गी इत्यादि		
	• भूमि समतलीकरण एवं मेडबन्दी कार्य		
	• पौधारोपण – उद्यानिकी / सामान्य वृक्षारोपण		
	• अन्य		
26	पौधशाला या नर्सरी		
27	पोषण वाटिका (NutriGarden)		
28	समस्त सरकारी भवनों में वर्षा जल संरक्षण(Roof Top Rain water harvesting structures on Govt. Building)		
29	आंगनबाड़ी केन्द्र आदि		
30	पंचायत घर		
31	खाद्य गोदाम		
32	खेल मैदान		
33	श्मशान घाट		
34	स्वच्छता संबंधी (SLWM) कार्य		
35	सामुदायिक Soak Pit		
36	समूह कार्यशाला(Common Work sheds for NRLM compliant SHG)		
37	सड़क / पुलिया निर्माण कार्य		
38	अन्य / नवाचार से संबंधित कार्य		
39	मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पतियों के रखरखाव हेतु कार्य		
40	नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत अन्य कार्य		

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
 Designation : Commissioner
 Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



ग्राम पंचायत.....

प्रस्ताव संख्या.....

ग्राम सभा दिनांक

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्य योजना पर
चर्चा/अनुमोदन संबंधी कार्यवाही विवरण

उपस्थित कोरम के समक्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना की वित्तीय वर्ष 2024-25 के श्रम बजट एवं कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निम्नानुसार कार्य योजना का अनुमोदन किया गया-

ग्राम पंचायत		पंचायत समिति	
--------------	--	--------------	--

1	2	3			4			5		
क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	कुल कार्य			कार्य की राशि			कुल मानव दिवस		
1		व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग	व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग	व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग
2										
3										
4										
5										
	योग									

उक्त कार्य योजना कुल प्रस्तावित कार्य राशिमानव दिवसहेतु विभागीय निर्देशों एवं महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के तहत बनाई गई है।

जारीकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



जिले में वर्ष 2024-25 हेतु योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण

S.N.	Work Category	Sub Work Category	No of Works	Estimated Amount
A	Public works relating to Natural Resources Management	जल संरक्षण हेतु चैकडेम/बन्ध इत्यादि		
		जल संग्रहण संरचनाए		
		2.1 तालाब/नाडी		
		2.2 परम्परागत जल स्रोतो का जीर्णोद्धार		
		2.3 फार्म पॉण्ड/डिग्गी		
		2.4 टांका/कुआँ		
		जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के कार्य		
		3.1 कन्टूर/स्टेगर्ड टेंच (Staggered Trenches, Continuous Trenches-CCT) etc.		
		3.2 गली प्लग्स (Gully Plugs)		
		वृक्षारोपण		
		4.1 परिसर		
		4.2 रोड/कनाल साईड		
		4.3 सामुदायिक भूमियों पर		
		चारागाह		
		सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य		
		भूमि विकास के कार्य		
		पौधारोपण या नर्सरी		
		पोषण वाटिका (NutriGarden)		
		9.1 आंगनबाडी केन्द्र पर		
		9.2 विद्यालय परिसर में		
9.3 अन्य				
		समस्त सरकारी भवनों में वर्षा जल संरक्षण (Roof Top Rain Water Harvestin Structures on Govt. Building)		
Total				
B	Individual assets for vulnerable sections	व्यक्तिगत लाभ के कार्य		
		11.1 वर्मी कम्पोस्ट		
		11.2 कैटल शेड/बकरी आश्रय/कुक्कुट आश्रय इत्यादि		
		11.3 कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने संबंधी कार्य		
		11.4 फार्म पॉण्ड/टांका/डिग्गी		

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swainkar

Designation : Commissioner

Date: 2023.09.14 17:40:12 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655



		11.5 भूमि समतलीकरण एवं मेडबन्दी कार्य		
		11.6 पौधारोपण-उघानिकी/सामान्य वृक्षारोपण		
		11.7 अन्य (बायोगैस प्लांट निर्माण)		
		11.8 Soak Pit		
		11.9 पोषण वाटिका (NutriGarden)		
		Total		
C	Common infrastructure for NRLM compliant SHGs	समूह कार्यशाला (Common Work Sheds For NRLM Compliant SHG)		
D	Rural Infrastructure	आंगनबाडी केन्द्र आदि		
		पंचायत घर		
		खाद्य गोदाम		
		खेल मैदान		
		शमशान घाट		
		स्वच्छता संबंधी (SLWM) कार्य		
		सामुदायिक (Soak Pit)		
		सडक/पुलिया निर्माण कार्य		
		बायोगैस		
		अन्य/नवाचार से संबंधित कार्य		
		मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु कार्य		
		नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत अन्य कार्य		
		Total		
		Grand Total (A+B+C+D)		

Signature valid

Digitally signed by Shivangi Swarnkar
 Designation : Commissioner
 Date: 2023.09.14 17:40:12 IST
 Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4707655

